बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या – खा0/पुर्न0/235/2016–17

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक संख्या–606 दिनांक–20.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को स्थिर (Fixed Capital) की सुदृढ़ीकरण हेतु चरखा के अतिरिक्त करघा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

02. उक्त संकल्प के कंडिका–08 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार ग्राम निर्माण मंडल, जयप्रकाश नगर, पो0–बुनियादगंज, गया को करघा क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत रूपया 3,00,000.00 (तीन लाख) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की	संकल्प के कंडिका 10 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रूपये में)	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतेय राशि कीमत का 50 प्रतिशत राशि
1	ग्राम निर्माण मंडल जय प्रकाश नगर, पो0–बुनियादगंज, गया (बिहार)	100	20	30,000.00	6,00,000.00	3,00,000.00
		कुल :–	20	30,000.00	6,00,000.00	3,00,000.00

03. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

04. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञापांक संख्या–606 दिनांक–20.02.2017 के कंडिका 02 एवं 03 में दिये गये शर्त्तो के अनुसार ही करघा क्रय करेंगें।

(प) करघा क्रय करने के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान दी जायेगी तथा 10 (दस) प्रतिशत खादी संस्थाओं को स्वयं वहन् करना होगा।

(पप) करघा की गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी : –

(क) करघा पुरा आयरन का बना हो।

(ख) करघा पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) होना चाहिए, जिसकी बुनाई की शटल अपने आप चलती हो।

(ग) करघा गियर पद्धति का हो।

(घ) करघा का अरज कम से कम 45 इंच एवं अधिक से अधिक 62 इंच का हो।

(ड़) करघा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 10 से 20 मीटर कपड़ा बुनने का हो।

5. खादी संस्थाएं अपने स्तर से क्रय के पूर्व करघा की गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होगें।

6. करघा कीमत की राशि खादी संस्था/समितियों के बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह राशि क्रय के पहले 50 (पचास) प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, शेष 50 (पचास) प्रतिशत का भुगतान करघा क्रय एवं उसे स्थापित किये जाने के बाद उसकी जाँच खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. खादी संस्था/समितियों की जिम्मवारी होगी कि उनके द्वारा क्रय किये गये करघा का संचालन एवं तकनीकी जानकारी अपने स्तर से आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करेगें तथा 15 दिनों के अन्दर करघा क्रय कर बोर्ड को सूचित करेगें अन्यथा 10 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि बोर्ड को वापस करना होगा।

8. करघा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधित सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2918/84 पटना, दिनांक – 08/08/17

प्रतिलिपि :– समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2919/84 पटना, दिनांक –08/08/17

प्रतिलिपि :– सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि करघा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2910/84 पटना, दिनांक –08/08/17

प्रतिलिपि :– उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरुद्धार योजना)/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2716/84 पटना, दिनांक – 08/08/17

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2717/84 पटना, दिनांक – 08/08/17

प्रतिलिपि :– जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2718/84 पटना, दिनांक – 08/08/17

प्रतिलिपि :– राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – 2719/84 पटना, दिनांक – 08/08/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या–01 / खा0–10 / 2015–16

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या–4671 दिनांक–19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत चरखा, करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कंडिका 3 तीन के अनुसार संस्था / समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा, जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था / समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक सं0–1511 / पटना दिनांक–29.03.2016 के आलोक में ग्राम निर्माण मंडल, सेखोदेवरा, नवादा द्वारा बिहार स्थित जिन 35 संस्था / समितियों के बीच कुल 1000 (एक हजार) त्रिपुरारि मॉडल चरखा उपलब्ध कराया गया है, उन संस्थाओं को ही प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जायेगा।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा महाप्रबंधक को बिहार स्थित खादी संस्था / समितियों को उपलब्ध कराये गये चरखा का सत्यापन हेतु निदेश दिया गया है कि सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी आपूर्ति किये गये चरखा के आधार पर प्रति चरखा रू0 47,462.00 (सैंतालीस हजार चार सौ बासठ) रूपये मात्र के दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलबध कराये गये चरखा की संख्या	कार्यशील पूँजी प्रति चरखा के दर से	कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि
1	ग्राम निर्माण मंडल, गया	50	47,462.00	23,73,100.00
2	ग्राम निर्माण समिति, कतरपुर, नालन्दा	25	47,462.00	11,86,550.00
3	पूर्वी चम्पारण जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, माई स्कॉट एरिया, मोतिहारी	20	47,462.00	9,49,240.00
		95		45,08,890.00

04. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

05. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के बेवसाईट www.kvibbihar.com पर भी उपलब्ध है।

06. एकरारनामा में निहित सभी शर्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूँजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।

07. संस्था/समिति प्रत्येक तीन माह में (त्रैमासिक) में कार्यशील पूंजी की राशि उपयोग के उपरान्त एक व्यय/उपयोग प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को समर्पित करेंगें।

08. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जाएगी।

09. खादी संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के द्वारा किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2979/83 पटना, दिनांक–05.05.17

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2979/83 पटना, दिनांक– 05.05.17

प्रतिलिपि :– उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2979/83 पटना, दिनांक– 05.05.17

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2979/83 पटना, दिनांक–05.05.17

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी